

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 73/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनोज खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, मैसर्स मनोज कुमार सुनिल कुमार खण्डेलवाल, अनाज मण्डी, पडाव, अजमेर।
2. मैसर्स मनोज कुमार सुनिल कुमार खण्डेलवाल, अनाज मण्डी, पडाव, अजमेर।
3. रचना सेठिया, प्रोपराईटर M/S Sethia Marketing, 6F-37, Mahima Trinity, Swage Farm, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan 302019
4. M/S Sethia Marketing, 6F-37, Mahima Trinity, Swage Farm, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan 302019

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण स्वयं।

—: आदेश :—

दिनांक— 20.07.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्ड रसगुल्ला का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर



[Handwritten Signature]
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.11.2015 को 03.30 पी.एम खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स मनोज कुमार सुनिल कुमार खण्डेलवाल, अनाज मण्डी, पडाव, अजमेर पर पहुँचे श्री मनोज खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को रसगुल्ला, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान रसगुल्ला में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 1-1 किलोग्राम रसगुल्ला के चार पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु 560/- रूपयें श्री मनोज खण्डेलवाल को नगद देकर गवाह श्री राजेश कुमार त्रिपाठी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनोज खण्डेलवाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा रसगुल्ला के प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार अलग-अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक पैकेट पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1211 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/419 दिनांक 20.01.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस. 946/एक्ट/2015/954 दिनांक 18.12.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया रसगुल्ला सबस्टेण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 15.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मनोज खण्डेलवाल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 20.07.2016 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित रहे उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को सुना गया। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया सब स्टेण्डर्ड रसगुल्ला पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री मनोज खण्डेलवाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

की उपधारा 2 (11) के तहत सब स्टैण्डर्ड पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सब स्टैण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री मनोज खण्डेलवाल व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री मनोज खण्डेलवाल व अन्य को रू. 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.07.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 20.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक : सरिस्ता/अपर/2016/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 3- श्री मनोज खण्डेलवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, मैसर्स मनोज कुमार सुनिल कुमार खण्डेलवाल, अनाज मण्डी, पडाव, अजमेर।
- 4- रचना सेठिया, प्रोपराईटर M/S Sethia Marketing, 6F-37, Mahima Trinity, Swage Farm, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan 302019

(किशोर कुमार)
 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर